DATE: 31/07/2020

CLASS: B.A.(H) PART-2ND

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS

CH: 5 (DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY-DPSP)

LECTURE NO. 27 (TWENTY SEVEN)

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन

निर्देशक तत्वों का सबसे प्रमुख लक्ष्य है- आर्थिक-सामाजिक न्याय की प्राप्ति। इसके लिए शासन के द्वारा जो प्रमुख प्रयास किए गए या कदम उठाए गए हैं, निम्नलिखित हैं—

(1) जमींदारी और जागीरदारी प्रथा का अंत और भूमि-सुधार

भारत में जमींदारी और जागीरदारी प्रथा के आधार पर सैकड़ों वर्षों से किसानों का शोषण होता आ रहा था, इसीलिए 1951 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसके साथ 1951 से लेकर आज तक अनेक भूमि सुधार कानून बनाए गए हैं। इन भूमि-सुधार कानूनों को संविधान के नौवीं अनुसूची में रखा गया है। भूमि-सुधार कानूनों का सबसे प्रमुख लक्ष्य है भूमि पर जोतने वाले का अधिकार।

(2) पंचवर्षीय योजनाएँ एवं राष्ट्रीय विकास एजेंडा—

देश के आर्थिक विकास के लिए नियोजन के मार्ग को अपनाया गया। 31 मार्च, 2017 को बारहवीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया, जिसके आधार पर विकास कार्य चल रहा था, अब इसके स्थान पर नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय विकास एजेंडा को अपनाया गया है जिसके अन्तर्गत तीन अवयवों को शामिल किया गया है—
(i) पंद्रह वर्षीय दीर्घावधि विजन (ii) सात वर्षीय मध्यावधि रणनीति
(iii) तीन वर्षीय एक्शन प्लान

Scanned with CamScanner

पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अनेक विकास एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया और सब ये कार्य राष्ट्रीय विकास एजेंडा के द्वारा किया जा रहा है।

(3) पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन :-

2 अक्टूबर, 1959 से पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया और व्यवहार के अन्तर्गत पंचायती राज व्यवस्था जो कमियाँ देखी गई, उन्हें दूर करने के लिए 1993 ई० में संसद ने 73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। इस संशोधन द्वारा 11 वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसी प्रकार 74 वें संविधान संशोधन द्वारा 12 वीं अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है।

(4) कमजोर वर्गों का कल्याण—

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग के लोगों एवं आर्थिक रूप से निर्बल सवर्णों को विशेष सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई है। सरकारी नौकरियों में इनके लिए 'विशेष छूटों की व्यवस्था' को अपनाया गया है। 103 वाँ संविधान संशोधन, 2019 द्वारा सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान किया गया। 104 वाँ संविधान संशोधन, 2019 के द्वारा प्रतिनिधि संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी, 2030 तक के लिए बढ़ा दी गई।

अस्पृश्यता निवारण के लिए कठोर कानूनों का निर्माण किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों को छात्रवृत्ति, पोशाक और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के आधार पर उन्हें शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2011 ई० में पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं

के लिये आरक्षण को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे महिला जागृति और उत्थान को बढ़ावा मिला है।

(5) सामाजिक सुरक्षा —

गरीबों, बेरोजगारों, बालकों, वृद्धों आदि के कल्याण एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु शासन के द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। जैसे — वृद्धावस्था पेन्शन योजना, विधवा पेंशन बीमा योजना (जुलाई 2003), सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) आदि। अप्रैल, 2008 से मनरेगा को पूरे देश में लागू कर दिया गया। मनरेगा के तहत प्रति परिवार एक सदस्य को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन रोजगार की गारण्टी दी गई है। यह सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

(6) बड़े-बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण:-

इसके अन्तर्गत जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण, 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पर्यटन, परिवहन, कोयला खान और विद्युत आपूर्ति आदि का राष्ट्रीयकरण किया गया।

उपर्युक्त वर्णित कदमों के अलावे सम्पत्ति के अधिकार से सम्बन्धित व्यवस्था में परिवर्तन, न्यायिक व्यवस्था में सुधार, अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, विद्यालयों में 'मिड डे मील' आदि की व्यवस्था भी शासन के द्वारा समय-समय पर की गई है।

× ——— × ——— × ——— ×

Scanned with CamScanner